म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक / 7665 / MGNREGS-MP/NR-3/SE-I / 2012 भोपाल, दिनांकः 01 / 08 / 2012

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी नरेगा
जिला समस्त (म.प्र)

विषयः– संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की राशि का महात्मा गांधी नरेगा से अभिसरण अनुमत होने बाबत्।

महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत टिकाऊ अस्तियों के निर्माण के दृष्टिगत सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्र. C / 16 / 2009 – MPLADS दिनांक 13.01.2012 के द्वारा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा–निर्देश की कंडिका 3.17.1 के तहत अभिसरण अनुमत किया गया है। MPLADS की राशि का उपयोग महात्मा गांधी नरेगा के तहत संपादित ऐसे कार्यो में किया जावे जिनमें सामग्री मद में आधिक्य में अर्थात् 40 % से अधिक राशि की आवश्यकता रहती है। भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार यह ध्यान रखा जावे कि इन कार्यो में कार्य एजेन्सी अनिवार्यतः ग्राम पंचायत ही रहेगी।

अतएव दोनों स्कीम के समस्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन करते हुए शासन के निर्देशानुसार अभिसरण के तहत कार्यो का संपादन करना सुनिश्चित करें तथा अपने स्तर से भी माननीय सांसदगणों को अवगत करायें।

(अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्र. / 7666 / MGNREGS-MP / NR-3/SE-I/2012 भोपाल, दिनांक 01 / 08 / 2012

प्रतिलिपि :–

1. माननीय संसद सदस्य (लोकसभा / राज्य सभा) (म.प्र.), श्री.................................., मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. विकास आयुक्त, म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग।
5. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर मंत्रालय।
6. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश।
7. समस्त कार्यक्रम अधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग।

अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग